भारत निर्वाचन आयोग

निर्वाचन सदन, अशोक रोड, नई दिल्ली-110001

सं. 464/अनुदेश/2016/ईपीएस **दिनांक: 12 मार्च, 2016**

सेवा में,

सभी राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों
के मुख्य निर्वाचन अधिकारी।

विषयः- निःशक्त जनों (पी डब्ल्यू डी) को सुविधाएं प्रदान करना-तत्संबंधी।

मुझे, निःशक्त जनों (पी डब्ल्यू डी) को सुविधाएं प्रदान करने के संबंध में आयोग के दिनांक 21.04.2004, 20.10.2005 तथा 26.10.2007 के पत्र सं0 509/110/2004-जे.एस.1 तथा दिनांक 15 फरवरी, 2016 के पत्र सं0 464/निदेश/2016-ईपीएस की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करने का निदेश हुआ है।

प्रत्येक निर्वाचक लोकतंत्र की बेहतर कार्यप्रणाली के लिए महत्वपूर्ण है तथा उन्हें अपना अधिकार अवश्य मिलना चाहिए। निर्वाचन विधियां निःशक्त जनों को न केवल समानता की गारंटी देती हैं, अपितु निर्वाचन प्रक्रिया में उनकी पहुँच तथा सहभागिता के लिए भी प्रावधान करती हैं।

इसके अतिरिक्त, आयोग ने सभी राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा एक समान रूप से अनुपालन किए जाने वाले नीचे उल्लिखित निदेशों के क्रियान्वयन के बारे में निर्णय लिया हैः-

क- निःशक्त जनों (पी डब्ल्यू डी) की पहचान करना

1. प्रत्येक राज्य द्वारा जनगणना, सामाजिक न्याय एवं आधिकारिता विभाग, महिला एवं बाल कल्याण विभाग तथा समग्र योजना की मदद से प्रारंभिक डाटा एकत्र किया जाएगा।
2. निःशक्त जनों को मूलभूत सुविधाओं की उपलब्धता सुनिश्चित कराने के लिए सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के अधिकारियों/कर्मचारियों को आवश्यकतानुसार प्रतिनियुक्त किए जाएंगे/ नोडल अधिकारियों के रूप में कार्य सौपे जाएंगे।
3. जिला निर्वाचन अधिकारी/निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी/बूथ लेवल अधिकारी स्तर पर उपर्युक्त विभागों से एकत्र किए गए डाटा से 18 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्तियों की मतदान केन्द्रवार सूची तैयार की जाएगी।

ख. निर्वाचक नामावली

1. मतदाता सूची से निःशक्तता के प्रकार का उल्लेख करते हुए निःशक्त जनों की एक पृथक मतदान केन्द्र वार सूची तैयार की जाएगी।
2. संबंधित विभागों से निःशक्त जनों के संबंध में सूचना प्राप्त करने के पश्चात पात्र निःशक्त जन, जो निर्वाचक नामावली की सूची में शामिल नहीं हैं, के नामों को शामिल करने की प्रक्रिया आरंभ की जाएगी।
3. निःशक्त जनों को मतदान केन्द्रों, मतदाता सहायता केन्द्रों (एम एस के), वोटर असिस्टेन्स सेन्टरों (वीएसी) जिला निर्वाचन अधिकारियों, निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों आदि के कार्यालय में सुविधाएं प्राप्त करने में प्राथमिकता दी जाएंगी। यह सुनिश्चित करने के लिए सभी संभावित कदम उठाए जाएंगे कि निःशक्त जनों को कतार में प्रतीक्षा न करनी पड़े।
4. उपर्युक्त सहायता केन्द्रों में फार्म 6,7,8 तथा 8 क भरने की सुविधा प्रदान करने के लिए पर्याप्त अनुदेश दिए जाएंगे।

ग. स्वीप

1. प्रत्येक जिले के लिए विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र वार एक अधिकारी पदनामित/ नियुक्त किए जाएंगे। ऐसे अधिकारियों को निःशक्त जनों के लिए सुविधाएं प्रदान करने के संबंध में प्रशिक्षित किए जाएंगे।
2. विभिन्न माध्यमों से इसका व्यापक प्रचार सुनिश्चित किया जाएगा। सरल भाषा, सांकेतिक भाषा तथा क्षेत्रीय भाषाओं (संबंधित राज्यों द्वारा) में ब्रेल का प्रयोग करते हुए विशिष्ट मूलभूत प्रचार सामग्री तैयार की जाएगी।
3. निःशक्त जनों को शिक्षित तथा प्रोत्साहित करने के लिए विशिष्ट/मोबाइल शिविरों का आयोजन किया जाएगा एवं विभिन्न मीडिया के माध्यम से नियमित कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे।
4. निःशक्त जनों को निर्वाचन प्रक्रिया के संबंध में प्रोत्साहित करने तथा जागरूकता उत्पन्न करने के लिए छात्र संगठनों जैसे एन सी सी, एन एस एस, एन वाय के आदि से स्वयंसेवी तैयार करने के प्रयास किए जाएंगे।
5. सी एस सी/ एम एस के द्वारा प्रदत्त सेवाओं के संबंध में प्रचार प्रसार किया जाएगा।
6. यह प्रयास किया जाएगा कि जिला कैम्पस अम्बैसडरों तथा जिला/राज्य आइकनों के रूप में सुप्रसिद्ध निःशक्त जन हों।

घ. गैर सरकारी संगठनों/ समुदाय आधरित संगठनों/ निःशक्त जन संगठनों/ रेजीडेन्ट वेलफेयर एसोशियेसनों को शामिल करना

1. निःशक्त जनों के लिए कार्य करने वाले स्वैच्छिक तथा अन्य संगठनों जैसे- गैर सरकारी संगठनों (एन जी ओ), समुदाय आधारित संगठनों (सी एस ओ) निःशक्त जन संगठनों (डी पी ओ) तथा रेजीडेन्ट वेलफेयर एसोशियेसनों (आर डब्ल्यू ए) आदि को गैर-राजनीतिक, गैर-पक्षपातपूर्ण रूप से निःशक्त जनों को निर्वाचन प्रक्रिया के संबंध में सूचना प्रदान करने में मदद करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। निःशक्त जनों को विभिन्न सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए इन संगठनों से मदद ली जाएगी।

2. निःशक्त जनों को प्रोत्साहित करने तथा उन्हें जागरूक करने के लिए केवल गैर-राजनीतिक तथा गैर-पक्षपातपूर्ण संगठनों पर विचार किया जाना चाहिए।

ड. सिस्टम सेन्सीटाइजेशन तथा प्रशिक्षण

1. निःशक्त जनों की आवश्यकताओं को हल करने का प्रयास करने के लिए निर्वाचन प्रणाली को संवेदनशील बनाने के लिए विशेष प्रशिक्षण सत्र आयोजित किए जाएंगे।
2. निर्वाचन प्रक्रिया में शामिल सभी अधिकारियों/ कर्मचारियों, पुलिस अधिकारियों/ कर्मचारियों आदि को निःशक्त जनों को प्रदान की जाने वाली सुविधाओं पर स्पष्ट रूप से अनुदेश दिया जाना चाहिए।
3. संकेत भाषा तथा ब्रेल में अर्हता प्राप्त अनुदेशकों को प्रशिक्षण के प्रयोजन के लिए नियुक्त किया जाएगा।
4. निर्वाचन प्रक्रिया के संबंध में मूलभूत सूचना ब्रेल लिपि में तैयार कर प्रदर्शित की जाएगी (हिन्दी, अंग्रेजी या क्षेत्रीय भाषा में)।
5. निःशक्त जनों द्वारा निर्वाचन प्रक्रिया में योगदान देना-ऐसे निःशक्त जनों को, जो मतदाता सहायता केन्द्रो में काम में सहायता करने, बी एल ओ के रूप में काम करने, मतदान दल में काम करने आदि के रूप में निर्वाचन प्रक्रिया में सहायता पहुंचाने के लिए स्वेच्छा से अपनी सेवाएं समर्पित करते हैं, उन्हे इस प्रकार के कार्य सौंपे जाने चाहिएं जिससे कि वे अन्य निःशक्त जनों को निर्वाचन प्रक्रिया में भाग लेने के लिए प्रेरित कर सकें।

च निःशक्त जनों को सहायता प्रदान करने के लिए प्रौघोगिकी का प्रयोग

1. प्रत्येक मुख्य निर्वाचन अधिकारी/ जिला निर्वाचन अधिकारी की वेबसाइटों को प्रयोक्ता अनुकूल तथा निःशक्त जनों के लिए सरलता से सुलभ बनाया जाएगा।
2. नेत्रहीन मतदाताओं को पंजीकरण की स्थिति, मतदान केन्द्र संख्या, मतदान केन्द्र का नाम, मतदाता सूची में क्रम संख्या, विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र जिसमें निःशक्त जन का नाम पंजीकृत है, मतदाता पहचान पत्र सं. (एपिक) मतदान अनुसूची इत्यादि जैसी सूचना देने के लिए वायस एस एम एस की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी।

<u>टिप्पणीः-</u>निःशक्त जनों का डाटा वेबसाइट पर प्रदर्शित नहीं किया जाएगा तथा इसे साझा नहीं किया जाना चाहिए ताकि उनकी निजता बनी रहे।

छ निःशक्त जनों के लिए विशिष्ट विशेष मतदान केन्द्र

1. ऐसे स्थानों/ क्षेत्रों/ संस्थानों जहां पर निःशक्त जन अत्यधिक संख्या में निवास करते हैं वहां विशिष्ट मतदान केन्द्रों को स्थापित किया जा सकता है। इस उद्देश्य के लिए, मुख्य निर्वाचन अधिकारी के अनुमोदन से जिला निर्वाचन अधिकारी को विशिष्ट मतदान केन्द्र स्थापित करने के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत करना चाहिए।

ज मतदान केन्द्रों पर भौतिक अभिगम्यता एवं सुविधाओं में सुधार करना।

1. यह सुनिश्चित किया जाएगा कि मतदान केन्द्र भूतल पर स्थापित हो, यदि नहीं, तो प्रत्येक तल के लिए लिफ्ट सुविधा/ रैम्प का विस्तार किया जाना चाहिए।
2. रैम्पों का एक मानकीकृत एवं समरूप डिजाइन कार्यान्वित किया जाएगा।
3. जहां पर स्थाई रैम्प की सुविधा उपवब्ध नहीं करवाई जा सकती, वहां पर अस्थाई/ मोबाइल रैम्प उपलब्ध करवाए जाएंगे।
4. रैम्पों पर पहुचने के लिए रेतीले एवं कीचड़ वाले रास्तों के स्थान को समतल बनाया जाएगा।
5. रैम्प इस प्रकार से उपलब्ध करवाए जाएंगे कि ये सीधे मतदान केन्द्रों के दरवाजें से जुडे हों ताकि गलियारे से होकर इधर-उधर जानें से बचा जा सके।
6. मतदान केन्द्रों पर पहुंचने के लिए उचित मार्ग स्थानीय प्राधिकरण/ संबंधित विभाग द्वारा सुनिश्चित किए जाएंगे।
7. प्रत्येक मतदान केन्द्र के दरवाजों के सामने मोबाइल बैरिकेट लगाए जाएंगे।
8. मतदान केन्द्र का प्रवेश द्वारा पूरा खुला रखा जाएगा और व्हील चेयर के आने-जाने के लिए मतदान कक्ष के चारों तरफ पर्याप्त स्थान सुनिश्चित किया जाना चाहिए।
9. निःशक्त जनों के लिए प्रवेश करने की अलग सुविधा, यदि संभव हो, उपलब्ध करवाई जानी चाहिए।
10. मानक निर्देशक सूचकों के साथ, मतदान कक्ष के रास्ते पर संकेतक होने चाहिएं।
11. मतदान केन्द्रों में निर्वाचकों के बीच निःशक्त जनों की संख्या के आधार पर सुविधाएं जैसे रैम्प, तिपहिया साइकिल, ऑडियो-वीडियो के माध्यम से आधारभूत सूचना उपलब्ध करवाई जानी चाहिएं। ये सुविधाएं आयोग द्वारा प्रतिनियुक्त प्रेक्षक द्वारा भौतिक रूप से सत्यापित एवं प्रमाणित की जानी चाहिएं।
12. चिह्नित मतदान केन्द्रों पर व्हील चेयर उपलब्ध करवाई जाएगी।
13. निःशक्त जनों के लिए प्राथमिकता प्रवेश पास जारी किए जाएंगे। यह सुनिश्चित करने के लिए सभी संभव कदम उठाए जाने चाहिएं कि निःशक्त जनों को लाईन में प्रतीक्षा न करनी पड़े।

झ राजनैतिक दलों का सहयोग

1. राजनैतिक दलों को निःशक्त जनों की अपेक्षाओं के अनुसार प्रचार सामग्री, घोषणा पत्र, अपील आदि संकेत भाषा के साथ-साथ ऑडियो-वीडियो में और ब्रेल भाषा में प्रदर्शित करने के लिए भी प्रेरित करना चाहिए।

ञ सांख्यिकी डाटा

1. सांख्यिकी डाटा में निःशक्त जनों संबंधी डाटा शामिल किया जाना चाहिए।

कृपया सुनिश्चित करें कि दिए गए अनुदेशों का अक्षरशः अनुपालन किया जाए।

कृपया इस पत्र की पावती तुरंत दें एवं ऊपर यथा अपेक्षित की गई कार्रवाई तत्काल सुनिश्चित करें।

भवदीय,

(सुमित मुखर्जी)
सचिव